रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएंडए/भर्ती/अनुबंध/सीएसई कैंटीन/2020/25

दिनांक 17 नवंबर 2026

सीएसएल में अनुबंध के आधार पर सामान्य कामगार (कैंटीन) केलिए वॉक-इन चयन

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, **सीएसएल में अनुबंध के आधार पर सामान्य कामगार (कैंटीन)** के पद को भरने केलिए **वॉक -इन चयन** के माध्यम से भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है ।

तालिका 1

I. **पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और कार्य अपेक्षाएं :**

पद का नाम

अनुबंध के आधार पर सामान्य कामगार (कैंटीन)

योग्यता

अनिवार्य :

सातवीं कक्षा में उत्तीर्ण।

वांछनीय:

क) सरकारी खाद्य शिल्प संस्थान से खाद्य उत्पादन/ खाद्य और पेय पदार्थ सेवा में एक साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/ केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान और रेस्तरां प्रबंधन में दो साल की व्यावसायिक प्रमाणपत्र।

ख) मलयालम का ज्ञान।

ग) भोजन तैयार करने या परोसने का अनुभव वांछनीय है।

कार्य अपेक्षाएं :

सीएसएल में कर्मचारियों के कैंटीन में खाद्य पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति, बर्तनों, फर्नीचर, इमारतों आदि की सफाई और इसी तरह के अन्य कार्य, समुद्री परीक्षणों के दौरान जलयानों पर और संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी/ पर्यवेक्षकों द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य। इस काम में निर्माणाधीन या मरम्मत के तहत जलयानों पर चाय और नाश्ता परोसने केलिए सीढियाँ चढना, गोदी और सीमित क्षेत्रों में आवाजाही शामिल है।

कैंटीन में काम कई शिफ्टों में किया जाता है, जिसमें शाम 7 बजे के बाद रात का समय भी शामिल है, और केवल पुरूष उम्मीदवारों को ही आवेदन करना है।

II. **महत्वपूर्ण तिथि, समय और स्थान:**

वॉक इन के ज़रिए आवेदनों को प्राप्ति की तिथि	**: 24 नवंबर 2026**
समय	**: 0830 बजे से 1200 बजे तक और and 1300 बजे से 1430 बजे तक**
आवेदन प्राप्त करने का स्थान	**: कोचीन शिपयार्ड रिक्रिएशन क्लब सभागार, पेरुमानूर गेट (तेवरा) के पास, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्ची – 682 015**

III. <u>रिक्तियों की सं.और आरक्षण:</u>

<u>तालिका 2</u>

पद का नाम	अनारक्षित	अपिव	अ.जा	अ.ज.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल
अनुबंध के आधार पर सामान्य कामगार (कैंटीन)	06	03	02	01	01	**13**

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

IV. <u>अनुबंध की अवधि :</u>

क) उपरोक्त पद का अनुबंध **पांच वर्ष की अवधि** के लिए है, जो संगठनात्मक आवश्यकता और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर करता है ।

V. <u>पारिश्रमिक:</u>

क) अनुबंध के पहले वर्ष के दौरान मासिक समेकित वेतन ₹ 20200/- प्रति माह होगा, और बाद के वर्षों में वार्षिक वृद्धि लागू होगी। वे सामान्य कार्य घंटों के अतिरिक्त अतिरिक्त कार्य घंटों के भी पात्र होंगे।

VI. <u>आयु :</u>

क) निर्धारित उच्चतम आयु सीमा **दिनांक 24 नवंबर 2026 को 30 वर्ष से अधिक न** हो, यानी आवदेकों का जन्म **दिनांक 25 नवंबर 1996** को या उसके बाद होना चाहिए ।

ख) अन्य पिछडे वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों केलिए आरक्षित पदों केलिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

ग) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों केलिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

VII. <u>चयन की विधि और आवेदन प्राप्त करने का तरीका:</u>

क) चयन की विधि **प्रायोगिक परीक्षा** के माध्यम से होगी जो **100 अंकों** का होगा

ख) **प्रायोगिक परीक्षा** केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं :-

अनारक्षित पदों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों केलिए– कुल अंकों का 50 %,
अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए. – केवल अ.पि.व केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए कुल अंकों का 45%
अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए - केवल अ.जा./अ.ज.जा. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए कुल अंकों का 40%.

ग) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त है, तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।

घ) पद के लिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होते हैं, तो संबंधित योग्यता का निर्धारण आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

ङ) प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और वॉक-इन चयन के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की प्रतियों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने का अधिकार है, और केवल लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

च) निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक उपर्युक्त तिथि को अपने **मूल प्रमाणपत्रों** के साथ **वॉक-इन चयन** में उपस्थित हों और **कोचीन शिपयार्ड रिक्रिएशन क्लब सभागार, पेरुमानूर गेट (तेवरा) के पास, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची – 682 015** में निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र और प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें। आवेदन प्रारूप **अनुलग्नक – I** इस विज्ञापन के साथ हमारी सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in (करियर पेज → सीएसएल, कोच्ची) पर उपलब्ध है।

छ) आवेदन पत्रों का सत्यापन उनके मूल प्रमाणपत्रों के साथ किया जाएगा और प्रमाणपत्र सत्यापन में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही सीएसएल में आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यह परीक्षा बाद की तिथियों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ईमेल/सीएसएल वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी।

ज) **किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।** एक बार प्रस्तुत आवेदन अंतिम माना जाएगा।

झ) **<u>वॉक-इन-चयन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :-</u>**

i. **अनुलग्नक I में दिए गए आवेदन पत्र पर हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाई हुई होनी चाहिए।**
ii. **फोटो वाला पहचान पत्र (मूल रूप में)**
iii. **आधार कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रति।**
iv. **आयु/जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, जाति आदि के प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज तथा इन प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां।**

ञ) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण और अहस्ताक्षरित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में गलत जानकारी भरने से आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

ट) आयु, योग्यता, जाति आदि के प्रमाण के रूप में **मूल प्रमाण पत्र** और इन सभी प्रमाण पत्रों की **स्व-सत्यापित प्रतियां** सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए और **मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

ठ) **उम्मीदवार जो प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करते है, केवल उन्हें ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।**

ड) अपूर्ण, निर्धारित प्रारूप में न होने वाले, अस्पष्ट या आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन बिना कोई कारण बताए तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

VIII. शर्तें:

क. आरक्षण

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

(ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

(iii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.ज.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों / छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

ख) योग्यता

i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

iii) इस अधिसूचना में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियां वॉक-इन चयन के समय प्रस्तुत करनी होंगी; अन्यथा उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) <u>सामान्य</u>

i) ***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।***

ii) जो आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/ बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए।

iii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगजता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

iv) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/ उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

v) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

vi) ***जो आवेदक इस रिक्ति अधिसूचना की तारीख तक सीएसएल के रोल पर अवुबंध के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं। जो लोग अनुबंध के पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में हैं वे आवदेन करने के पात्र नहीं हैं।***

vii) ***इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि तक सीएसएल के अनुबंध के अंतिम वर्ष में कार्यरत आवेदक भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने पर आवेदन करने के पात्र हैं। इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि तक सीएसएल के अनुबंध के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा वर्ष में कार्यरत आवेदक इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।***

viii) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, लघुसूचीगत उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

x) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

xi) **पद केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची ईमेल/सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी ।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची)** को बार- बार देखें।

xii) लघुसूचीगत उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

xiii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने, चयन प्रक्रिया केलिए बुलावा पत्र जारी करने आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

xiv) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

xv) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xvi) पद के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। रैंक सूची केवल तभी संचालित की जाएगी जब रैंक सूची से शामिल होने केलिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने केलिए भी किया जा सकता है।

xvii) सीएसएल अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या किसी भी रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखता है।

xviii) इस अधिसूचना में दर्शाई गई पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, और रैंक सूचियों की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेकाधिकार पर उस रैंक सूची से भरा जा सकता है।

xix) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xx) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xxi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xxii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xxiii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xxiv) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल या लैंडलाइन नं. 0484 – 250 1221 से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)